संख्या- 1/87/26-3-2014-3(15)/2007

प्रेषक,

राम गोपाल मौर्य,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 18 जनवरी, 2014**

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट पिटीशन नं0 2080 आफ 2011 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम विजय शंकर एवं अन्य में दिनांक 23-12-2011 में पारित निर्णय जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-

> "In the instant case, the Tribunal has examined the National Citizen Register, wherein it was shown that opposite party's parent's names were mentioned as Sri Laxmi Narian, Son of Mata Prasad and mother Smt. Suraj Mani, wife of Laxmi Narian and they were categorized as **'Shilpkar'**, which admittedly belongs to scheduled caste. The Tribunal also observed that **'Kasera'** is a sub caste of **'Shilpkar'** as per Government order dated 12-12-1950. In fact, there are 26 sub castes of **'Shilpkar'** and **'Kasera'** is on of them. Thus **'Kasera'** being a sub caste of **'Shilpkar'** comes under the category of **scheduled** caste. When it is so, then we find no reason to interfere with the impugned order passed by the Tribunal and the same is hereby sustained along with the reasons mentioned therein"

2. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या- 1442/XXXI-818-1957, दिनांक 22-5-1957 के प्रस्तर-2(i)(63) में उल्लिखित "शिल्पकार" जाति में 26 उपजातियां हैं, जिसमें "कुम्हार" जाति भी सम्मिलित है। अतएव कृपया कुम्हार जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी मानते हुए अनुमन्य आवश्यक लाभ प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राम गोपाल मौर्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन सं0-87(1)/26-3-2014(15)/2007/ तददिनांक :-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम गोपाल मौर्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in